

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

पटना दिनांक 29-10-18

विषय:- कैमूर (भभुआ) जिला के लिए अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2233/विधि, दिनांक-30.07.2018 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को कैमूर (भभुआ) जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-


क्र0	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री राम नारायण राम	1338/1994
2.	श्री संजय कुमार शर्मा	3246/2000
3.	श्री दाउंजी	6299/1996
4.	श्री शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल	073/1973
5.	श्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह	2290/93
6.	श्री राम दयाल सिंह	1661/1994
7.	श्री निशी कान्त निलेश	10102/96
8.	श्री दिनानाथ सिंह	546/89
9.	श्री कुँवर लाल श्रीवास्तव	3399/92
10.	श्री सतीश कुमार सिंह	5296/96
11.	श्री सचिदानंद राय	845/82
12.	श्री कामता प्रसाद सिंह	1015/1980
13.	श्री त्रिभूवन पाण्डेय	336/1973
14.	श्री श्यामानंद उपाध्याय	868/1998
15.	कुमारी सरोज तिवारी	5023/2006
16.	श्रीमती मीना श्रीवास्तव	3853/1996

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की

अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।


3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देया होगा।

विश्वासभाजन


(मनोज कुमार)

ज्ञापांक..... 8920, पटना, दिनांक..... 29-10-18 सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।


प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, कैमूर (भभुआ)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(मनोज कुमार)

ज्ञापांक..... 8920, पटना, दिनांक..... 29-10-18 सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई0मेल करने हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

1/11/18